न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारीः–दिव्यराज सिंह चुण्डावत, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या :– 184/2007

निर्णय दिनांक :– 07-1-2025

उनवान

1. लादूलाल आत्मज बालु जी जाति जाट, उम्र–वयस्क, निवासी–दान्थल, तहसील व जिला भीलवाड़ा

— वादी

बनाम

1. भैरू आत्मज हरलाल जी जाट, निवासी–दान्थल, तहसील व जिला भीलवाड़ा
2. पन्ना आत्मज हरलाल जी जाट, निवासी–दान्थल, तहसील व जिला भीलवाड़ा
3. उदा आत्मज हरलाल जाट, निवासी–दान्थल, तहसील व जिला भीलवाड़ा
4. बद्रीलाल आत्मज हरलाल जाट, निवासी–दान्थल हाल निवासी छापरी फौत के बजायः–
   4/1 – श्रीमति सोहनी देवी पत्नि स्व० बद्रीलाल जी जाति जाट, उम्र–वयस्क, निवासी–छापरी, तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा
   4/2 – शंकरलाल आत्मज स्व० बद्रीलाल जी जाति जाद, उम्र–वयस्क, निवासी छापरी, तहसील–बनेड़ा जिला भीलवाडा
   4/3 – संतोक पुत्री स्व० बद्रीलाल जाट, निवासी–छापरी, तहसील–बनेड़ा जिला भीलवाड़ा
   4/4 – मनभर पुत्री स्व० बद्रीलाल जाट, निवासी–छापरी. तहसील–बनेड़ा जिला भीलवाड़ा
   4/5 – समता पुत्री स्व० बद्रीलाल जी जाट, निवासी–छापरी, तहसील–बनेड़ा जिला भीलवाड़ा
5. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार भीलवाड़ा

— प्रतिवादीगण

उपस्थितः–

1. वादी की और से अधिवक्ता श्री रामेश्वरलाल जाट
2. प्रतिवादी संख्या 01 से लगायत 03 व 4/1 से 4/5 उपस्थित नहीं।
3. प्रतिवादी संख्या 05 की और से पेरोकार सरकार

वादपत्र बाबत घोषणा, स्थायी निषेधाज्ञा एवं इन्द्राज दुरूस्ती

वादी ने वादपत्र बाबत् घोषणा स्थाई निषेधाज्ञा एवं इन्द्राज दुरूस्ती का प्रतिवादी के विरूद्ध प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 04 के संयुक्त खातेदारी अधिकार की आराजियात वाके ग्राम दान्थल तहसील व जिला भीलवाडा के आराजी नम्बर 353 रकबा 04–05 बीघा, आराजी नम्बर 354 रकबा 01–01 बीघा, आराजी नम्बर 25 रकबा 05–10 बीघा कुल किता 03 कुल रकबा 10 बीघा 16 बिस्वा भूमि स्थित है। उपरोक्त वादग्रस्त आराजियात में वादी के पिता बालू एवं प्रतिवादी नं. 01 से 04 प्रत्येक का 1/5–1/5 हिस्सा था और इसी अनुसार आराजियात पर काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे थे।। वादी के पिता बालू के फौत होने पर बालू के नाम की आराजियात वादी व उसकी माता ऐजन के नाम पर आयी और वादी की माता ऐजन का भी निधन हो गया। वादी ऐजन का पुत्र होकर एक मात्र उत्तराधिकारी है परन्तु राजस्व रेकॉर्ड मैं अभी भी ऐजन का नाम चला आ रहा है। राजस्व अधिकारियों से निवेदन करने पर भी नाम अभी तक नहीं हटाया है। प्रतिवादी सं. 02 ने दिनांक 07.06.1983 को आराजी सं. 353 व 354 में से अपने 1/5 हिस्से को प्रतिवादी नं. 01 भैरू को विक्रय कर दिया । आराजी संख्या 353 व 354 विक्रय की गयी परन्तु रजिस्ट्री में गलत व भूलवश आराजी नं. 25 दर्ज हो गयी जबकि रजिस्ट्री में वर्णित पडौसों के अनुसार आराजी संख्या 353 व 354 ही विक्रय की गयी और विक्रय के बाद प्रतिवादी सं. 01 आराजी संख्या 353 व 354 पर ही काबिज हुआ तभी से प्रतिवादी सं. 01 आराजी नं. 353 व 354 पर ही काबिज चला आ रहा है। आराजी सं. 25 से प्रतिवादी नं. 01 का कोई लेना–देना नहीं है। आराजी नं. 25 मैं प्रतिवादी सं. 02 का 1/5 हिस्सा था।

उपखण्ड अधिकारी एव
पदेन सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा

प्रतिवादी संख्या 02 ने रजिस्टर्ड विक्रय विलेख द्वारा दिनांक 18.05.1984 को वादी के पिता बालू को विक्रय कर कब्जा सिपूर्द कर दिया था । तभी से आराजियात पर बालु व उसके वादी कब्जा चला आ रहा है, विक्रय विलेख में जो पडौस दर्शा रखे है, वो आराजी संख्या 25 के ही है। प्रतिवादी संख्या 01 ने विक्रयपत्र में गलत आराजी संख्या होने का नाजायद फायदा उठाते हुये आराजी नम्बर 25 का नामान्तकरण प्रतिवादी संख्या 02 के बजाय प्रतिवादी संख्या 01 ने अपने नाम करवा दिया। नामान्तरकरण संख्या 548 दिनांक 21.08.1989 के जरिये अपने नाम करवा दिया । जबकि आज दिन तक प्रतिवादी संख्या 01 का आराजी संख्या 25 पर कोई कब्जा नहीं है । वैसे भी कानून का यह मान्य सिद्धान्त है कि विक्रयपत्रों में अंकित आराजी नम्बरों के बजाय इसके पडौसों पर ज्यादा विश्वास किया जाता है। पडौस को ही सही माना जाता है यहाँ पर भी दोनों विक्रय पत्रों में जो पडौस अंकित है उसी अनुसार वादी व प्रतिवादी नं. 02 काबिज चले आ रहे हैं। ज्यों ही वादी को दिनांक 05.12.2006 को विक्रय पत्र दिनांक 07.06.1983 में आराजी नम्बर गलत अंकित होने की जानकारी हुई त्यों ही विक्रय पत्र की नकलें प्राप्त की तथा प्रतिवादी संख्या 01 व 02 को भी विक्रय पत्रों में अंकित पडौस अनुसार आराजी नम्बर 25 के स्थान पर आराजी नम्बर 353 व 354 को दर्ज करने हेतु कहा किन्तु प्रतिवादी संख्या 01, 02 ने ऐसा करने से मना कर दिया तथा धमकी दी की मैं तो तुम्हारे को आराजी नम्बर 25 से बेदखल करके ही रहूंगा अर्थात् प्रतिवादी संख्या 01 वादी को आराजी नम्बर 25 के 2/5 हिस्से में खातेदार काश्तकार नहीं मानता है इस कारण यह वादपत्र खातेदारी हक की घोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा व इन्द्राज दुरूस्ती हेतु प्रस्तुत किया जा रहा है। प्रतिवादी संख्या 01 विक्रय पत्र दिनांक 07.06.1983 में अंकित गलत नम्बरों का फायदा उठाते हुये वादी को आराजी नम्बर 25 से बेदखल करने पर आमादा है वादी को यह धमकी दी कि मैं आराजी नम्बर 25 में आपके हिस्से को हडप कर लूंगा तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड सकते। इस कारण प्रतिवादी संख्या 01 व 02 को इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जाना आवश्यक है कि आराजी नम्बर 25 में वादी के 2/5 हिस्से की प्रतिवादी संख्या 01 व 02 खुर्द–बुर्द नहीं करें, रहन बय बक्षीस नहीं करे, वादी के कब्जे काश्त में दखल न तो स्वयं करे न किसी अन्य से करावें।

अतः वादी का वादपत्र विरूद्ध प्रतिवादीगण स्वीकार किया जाकर इस आशय की ड़िक्री जारी कराई जावें कि ग्राम दान्थल तहसील व जिला भीलवाडा के आराजी नम्बर 25 में वादी का 2/5 हिस्सा होकर वादी 2/5 हिस्से का खातेदार काश्तकार है तथा शेष हिस्से में प्रतिवादी संख्या 03 का 1/5 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 01 का 2/5 हिस्सा होकर खातेदार काश्तकार है तथा इसी हक हिस्से अनुसार राजस्व रेकार्ड में दर्ज कराया जावें तथा आराजी नम्बर 353, 354 में वादी का 1/5 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 04 का 1/5 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 01 का 2/5 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 03 का 1/5 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित करते हुये राजस्व रेकार्ड में इसी अनुसार अमलदरामद कराया जावें। आराजी नम्बर 353 व 354 से प्रतिवादी संख्या 02 का नाम हटाया जावें। वाद वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण स्वीकार किया जाकर जरिये स्थाई निषेधाज्ञा की डिकी से प्रतिवादी संख्या 01 से लगायत 04 को पाबन्द किया जाकर ग्राम दान्थल की आराजी नम्बर 25 में वादी के 2/5 हिस्से तथा आराजी नम्बर 353, 354 में वादी के 1/5 हिस्सें का प्रतिवादी संख्या 01 से लगायत 04 किसी अन्य को किसी प्रकार से रहन बय बक्षीस या अन्य तौर पर अंतरित या भारित न तो स्वंय करें न अपने एजेन्ट, नौकर या प्रतिनिधी द्वारा करावें। न वादी को स्वयं बेदखल करें ना ही किसी अन्य से करावें वादी के कब्जे काश्त में कोई बेदखल न करें।

प्रकरण पंजीबद्ध किया जाकर प्रतिवादी के सम्मन जारी किये। वादी का प्रकरण अदम हाजरी व अदम पैरवी में दिनांक 05.05.2008 को खारिज किया गया।

वादी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 09 नियम 09 व धारा 151 जा0दी0 का पेश किया जिसे दिनांक 10.06.2013 को स्वीकार किया जाकर प्रकरण पुनः दर्ज रजिस्टर कर विपक्षीगण को नोटिस जारी किये।

प्रतिवादी संख्या 04 के कायम मुकाम प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 04 सी0पी0सी0 का पेश हुआ। जिसे दिनांक 21.09.2022 को स्वीकार किया एवं प्रतिवादी संख्या 01 व 03 के विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही गई। प्रतिवादी संख्या 04/1 से लगताय 4/5 के उपस्थित नहीं होने से दिनांक 23.01.2023 को एक तरफा कार्यवाही की गयी। प्रतिवादी संख्या 02 के उपस्थित नहीं होने से दिनांक 12.02.2024 को एक तरफा कार्यवाही की गई।

उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा

प्रकरण में साक्ष्य वादी में लादुलाल पिता बालु जाट निवासी दांथल का शपथ पत्र दिनांक 27.02.2024 को पेश हुआ मुख्य परीक्षण दिनांक 27.02.2024 को करवाया गया। जो पीडब्ल्यू 01 है। साक्ष्य वादी में शपथ पत्र धन्ना जाट पुत्र बलदेव जाट निवासी दांथल का दिनांक 20.02.2024 को पेश हुआ मुख्य परीक्षण करवाया गया। जो पीडब्ल्यू 02 है। साक्ष्यवादी में शपथ पत्र गोपीलाल पिता कन्हैयालाल ब्राहम्ण निवासी दांथल का दिनांक 08.04.2024 को पेश हुआ। मुख्य परीक्षण करवाया गया। जो पीडब्ल्यू 03 है।

दस्तावेजी साक्ष्य में रजिस्टर्ड विकय पत्र दिनांक 07.06.1983 की प्रमाणित प्रति पेश की जो प्रदर्श– 01 है, रजिस्टर्ड विकय पत्र दिनांक 19.05.1984 की फोटोप्रति पेश की जो प्रदर्श–02 है। ग्राम दांथल के आराजी नम्बर 353 व 354 के नक्शा ट्रेस की प्रमाणित प्रति पेश की जो प्रदर्श–03 है। ग्राम दांथल के आराजी नम्बर 25 के नक्शा ट्रेस की प्रमाणित प्रति पेश की जो प्रदर्श–04 है। ग्राम दांथल के आराजी नम्बर 353 व 354 जमाबन्दी सम्वत 2036 से 2039 की प्रमाणित प्रति पेश की जो प्रदर्श–05 है। ग्राम दांथल के आराजी नम्बर 21, 23, 24, 351 की जमाबन्दी सम्वत् 2036 से 2039 की प्रमाणित प्रति पेश की जो प्रदर्श–06 है। ग्राम दांथल के आराजी नम्बर 22, 352 की जमाबन्दी सम्वत् 2036 से 2039 की प्रमाणित प्रति पेश की जो प्रदर्श–07 है। ग्राम दांथल के आराजी नम्बर 358 की जमाबन्दी सम्वत् 2036 से 2039 की प्रमाणित प्रति पेश की जो प्रदर्श–08 है।

प्रकरण में वादी अधिवक्ता की बहस सुनी गयी। वादी अधिवक्ता ने अपनी बहस में वादपत्र में वर्णित बिन्दुओं को दोहराते हुये निवेदन किया है कि ग्राम दान्थल तहसील व जिला भीलवाडा के आराजी नम्बर 25 में वादी का 2/5 हिस्सा होकर वादी 2/5 हिस्से का खातेदार काश्तकार है तथा शेष हिस्से में प्रतिवादी संख्या 03 का 1/5 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 01 का 2/5 हिस्सा होकर खातेदार काश्तकार है तथा इसी हक हिस्से अनुसार राजस्व रेकार्ड में दर्ज कराया जावें तथा आराजी नम्बर 353, 354 में वादी का 1/5 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 04 का 1/5 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 01 का 2/5 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 03 का 1/5 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित करते हुये राजस्व रेकार्ड में इसी अनुसार अमलदरामद कराया जावें। आराजी नम्बर 353 व 354 से प्रतिवादी संख्या 02 का नाम हटाया जावें। प्रतिवादी संख्या 01 से लगायत 04 को पाबन्द किया जाकर ग्राम दान्थल की आराजी नम्बर 25 में वादी के 2/5 हिस्से तथा आराजी नम्बर 353, 354 में वादी के 1/5 हिस्से को प्रतिवादी संख्या 01 से लगायत 04 किसी अन्य को किसी प्रकार से रहन बय बक्षीस या अन्य तौर पर अंतरित या भारित न तो स्वंय करें न अपने एजेन्ट, नौकर या प्रतिनिधी द्वारा करावें। न वादी को स्वयं बेदखल करें ना ही किसी अन्य से करावें वादी के कब्जे काश्त में कोई बेदखल न करें, इस आशयक की स्थाई निषेधज्ञा से प्रतिवादीगण को पाबन्द करावें।

वादी की और से लिखित बहस प्रस्तुत कर अंकित किया है कि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 01 से लगायत 04 के संयुक्त खातेदारी अधिकारों की आराजियात वाके ग्राम दांथल तहसील व जिला भीलवाडा की आराजी नम्बर 353 रकबा 04–05 बीघा, आराजी नम्बर 354 रकबा 01–01 बीघा, आराजी नम्बर 25 रकबा 05–10 बीघा कुल किता 05 कुल रकबा 10–16 बीघा भूमि स्थित है। उपरोक्त वर्णित आराजियात में मुझ वादी के पिता बालु व प्रतिवादी संख्या 01 से लगायत 04 प्रत्येक का 1/5 – 1/5 हिस्सा था और इसी अनुसार आराजियात पर काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे थें। मेरे पिता बालु जी के फौत हो जाने पर बालु जी के नाम की आराजियात मुझ वादी व मेरी माता ऐजन के नाम पर आयी और मेरी माता ऐजन का नाम चला आ रहा है। राजस्व अधिकारीयो से निवेदन करने पर भी मेरी माता ऐजन का नाम नहीं हटाया है। रहा है। राजस्व अधिकारीयो से निवेदन करने पर भी मेरी माता ऐजन का नाम नहीं हटाया है। प्रतिवादी संख्या 02 पन्ना ने दिनांक 07/06/1983 को आराजी सख्या 353 व 354 में से अपने 1/5 हिस्से को प्रतिवादी संख्या 01 भैरू को विक्रय कर दिया। आराजी संख्या 353 व 354 विकय की गयी परन्तु रजिस्ट्री में गलत व भूलवंश आराजी संख्या 25 दर्ज हो गयी जबकी रजिस्ट्री में वर्णित पडौसो के अनुसार आराजी संख्या 353 व 354 ही विकय की गयी थी और विक्रय के बाद प्रतिवादी संख्या 01 भैरू आराजी संख्या 353,354 पर ही काबिज हुआ तभी से प्रतिवादी संख्या 01 आराजी संख्या 353,354 पर काबिज चला आ रहा है। आराजी सख्यां 25 से प्रतिवादी संख्या 01 का कोई लेना देना नहीं है। आराजी संख्या 25 में प्रतिवादी संख्या 02 पन्ना का 1/5 हिस्सा था जो प्रतिवादी संख्या 02 ने रजिस्टर्ड विक्रय विलेख द्वारा दिनांक 18/05/1984 को मेरे पिता बालु जी को विक्रय कर कब्जा सिपूर्द कर दिया था तभी से आराजियात पर बालु जी वं उसके बाद मेरा कब्जा चला आ रहा है विकय विलेख दिनांक 18/05/1984 में जो पडौस दर्शा रखे है वो आराजी संख्या 25 के ही है। प्रतिवादी संख्या 01 ने विकय पत्र में गलत आराजी संख्या अंकित होना का नाजायज फायदा उठाते हुए आराजी संख्या 25 का नामान्तरण प्रतिवादी संख्या 02 के बजाये प्रतिवादी संख्या 01 ने अपने नाम करवा लिया।

उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा

नामन्तकरण संख्या 548 दिनांक 21/08/1989 के जरिये अपने नाम करवा लिया। जबकी आज दिन तक प्रतिवादी संख्या 01 का आराजी संख्या 25 पर कोई कब्जा नहीं है। सन् 1983 के विक्रय पत्र में जो पडौस दर्शा रखा है वह आराजी सख्या 353, 354 के है और 1984 के विकय पत्र में पडौस भी सही है और आराजी संख्या भी सही है। परन्तु 1983 के विक्रय पत्र में आराजी संख्या गलत अंकित होने का फायदा उठाकर प्रतिवादी संख्या 01 ने राजस्व रेकार्ड में अपना नाम आराजी संख्या 25 में दर्ज करा लिया। जबकी आराजी संख्या 353, 354 में पन्ना लाल के बजाये प्रतिवादी संख्या 01 भैरू लाल का नाम दर्ज होना चाहिये और उसका 2/5 हिस्सा दर्ज होना चाहिये। इसी प्रकार 1984 के विक्रय पत्र के अनुसार आराजी संख्या 25 में प्रतिवादी संख्या 02 पन्ना लाल के बजाये वादी का नाम दर्ज होना चाहिये और वादी का 2/5 हिस्सा दर्ज होना चाहिये आराजी संख्या 353, 354 के राजस्व नक्शे का अवलोकन किया गया जिसके अनुसार आराजी संख्या 353, 354 के पूर्व में आराजी संख्या 343 अंकित है जो तात्कालीन जमाबन्दी में उंकार जाट के नाम दर्ज है और रजिस्ट्री में भी पूर्व का पडौसी उंकार जाट दर्शा रखा है। आराजी सख्या 353, 354 के उत्तर में राजस्व नक्शे में आराजी संख्या 352, 351 दर्शा रखी है जो तात्कालीन राजस्व रेकार्ड में देवी लाल जाट और जगन्नाथ जाट के नाम दर्ज है और विक्रय पत्र मे भी उत्तर दिशा का पडौसी देवीलाल / जगन्नाथ की आराजी दर्शा रखी है आराजी संख्या 353, 354 के दक्षिण दिशा में राजस्व रेकार्ड नक्शे में आराजी संख्या 358 दर्शा रखी है जो तत्कालीन राजस्व रेकार्ड में परसा जाट के नाम दर्ज है और विक्रय पत्र में भी दक्षिण दिशा का पडौसी परासा जाट की आराजी अंकित है। प्रतिवादी संख्या 02 पन्ना लाल ने सन् 1983 में जो विकय पत्र निष्पादित किया पडौसो के अनुसार वह आराजी संख्या 25 का नही होकर आराजी संख्या 353, 354 का है। इस प्रकार प्रतिवादी संख्या 02 पन्ना लाल ने आराजी संख्या 353, 354 में अपना 1/5 हिस्सा सन् 1983 में प्रतिवादी संख्या 01 भैरू लाल को विक्रय कर दिया और बाद में आराजी संख्या 25 में प्रतिवादी संख्या 02 पन्ना लाल का जो 1/5 हिस्सा था। वह पन्ना लाल ने सन् 1984 में रजिस्टर्ड विकय विलेख के वादी के पिता बालु को विकय कर दिया इन विक्रय पत्रो के आधार पर आराजी संख्या 25 मे वादी का 2/5 हक हिस्सा हो गया और आराजी संख्या 353,354 में प्रतिवादी संख्या 01 भैरू लाल का 2/5 हिस्सा हो गया। इसी हक हिस्से अनुसार वादी और प्रतिवादीगण काबिज होकर काश्त कर रहे है। दोनो विक्रय पत्र सही तौर निष्पादित किये गये। परन्तु 1983 के विक्रय पत्र में पडौस तो आराजी संख्या 353, 354 के अंकित हो गये और आराजी संख्या 25 अंकित हो गयी। इस कारण इस आशय की घोषणा की जाना आवश्यक है कि आराजी संख्या 25 में वादी का 2/5 हिस्सा है। आराजी संख्या 25 में प्रतिवादी संख्या 01 का 1/5 हिस्सा कम किया जाकर वादी के आराजी संख्या 25 में 2/5 हिस्सा दर्ज किया जावें।

वादी के वादपत्र का अध्ययन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध रेकार्ड व दस्तावेजी साक्ष्य का भलींभाति परीक्षण किया गया। ग्राम दान्थल तहसील भीलवाडा के आराजी नम्बर 353, 354, 25 कुल किता 03 कुल रकबा 10-16 बीघा भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 01 से लगायत 04 के संयुक्त खातेदारी अधिकार की होकर वादी के पिता बालु एवं प्रतिवादी संख्या 01 से लगायत 04 प्रत्येक का 1/5 - 1/5 हिस्सा था और इसी हिस्से अनुसार काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है। वादी के पिता बालु के फौत होने पर बालु के नाम की आराजियात वादी व उसकी माता ऐजन के नाम दर्ज हुई और वादी की माता ऐजन का भी निधन हो गया। वादी ऐजन का पुत्र होकर एकमात्र उत्तराधिकार है परन्तु राजस्व रेकार्ड में अभी भी ऐजन का नाम दर्ज चला आ रहा है। प्रतिवादी संख्या 02 ने दिनांक 07.06.1983 को आराजी संख्या 353, 354 में से 1/5 हिस्से को प्रतिवादी संख्या 01 भैरू को विकय कर दिया। आराजी संख्या 353, 354 विकय की गई परन्तु रजिस्ट्री में भूलवश आराजी संख्या 25 दर्ज हो गयी। जबकि रजिस्ट्री में वर्णित पडौसों के अनुसार आराजी नम्बर 353, 354 ही विकय की गई प्रतिवादी संख्या 01 आराजी संख्या 353 व 354 पर ही काबिज चला आ रहा है। आराजी नम्बर 25 से प्रतिवादी संख्या 01 का कोई लेना देना नहीं है। आराजी नम्बर 25 में प्रतिवादी संख्या 02 का 1/5 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 02 ने रजिस्टर्ड विकय विलेख द्वारा दिनांक 18.05.1984 को वादी के पिता बालु को विकय कर कब्जा सिपूर्द कर दिया। तभी से आराजियात पर बालु व उसके बाद वादी का कब्जा चला आ रहा है। विकय विलेख में जो पडौस दर्शा रखे है वो आराजी नम्बर 25 के ही है। प्रतिवादी संख्या 01 ने विक्रय पत्र में गलत आराजी संख्या अंकित होने का नाजायज फायदा उठाते हुये आराजी संख्या 25 का नामान्तकरण प्रतिवादी संख्या 02 के बजाय प्रतिवादी संख्या 01 ने अपने नाम करवाई। नामान्तकरण संख्या 548 दिनांक 21.08.1989 के जरिये अपने नाम करवा दी। प्रतिवादी संख्या 01 का आराजी नम्बर 25 पर कोई कब्जा नहीं होना बताया है।

उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा

विक्रय पत्र दिनांक 07.06.1983 में विक्रेता प्रथम पक्ष श्री पन्नालाल पिता हरलाल जाट निवासी दांथल ने ग्राम दांथल के आराजी नम्बर 353 व 354 में प्रथम पक्ष विक्रेता का 1/5 हिस्सा द्वितीय पक्ष श्री भैरू पिता हरलाल जाट निवासी दांथल को विक्रय किया गया है एवं चारो पडौस भी आराजी नम्बर 353 व 354 के अंकित है लेकिन इस दस्तावेज में आराजी नम्बर 353 व 354 के स्थान पर आराजी संख्या 25 का अंकन कर दिया गया। इस प्रकार रजिस्टर्ड दस्तावेज दिनांक 07.06.1983 के आधार पर आराजी नम्बर 353 व 354 में से 1/5 हिस्सा भैरू आत्मज हरलाल जाट निवासी दांथल के नाम पर इन्द्राज चाहा गया है।

विक्रय पत्र दिनांक 18.05.1984 में विक्रेता प्रथम पक्ष श्री पन्नालाल आत्मज हरलाल जाट निवासी दांथल ने ग्राम दांथल के आराजी नम्बर 25 रकबा 05–10 बीघा भूमि में से अपना 1/5 हिस्सा द्वितीय पक्ष केता बालु पिता हरलाल जाट निवासी दांथल को विक्रय किया गया है। जिसमें पडौस अंकित किये गये है।

ग्राम दांथल के आराजी नम्बर 353 व 354 कुल किता 02 कुल रकबा 05–06 बीघा में से 1/5 हिस्सा एवं आराजी नम्बर 25 रकबा 05–10 बीघा में से 1/5 हिस्सा में विक्रेता पन्नालाल आत्मज हरलाल जाट है।

प्रतिवादी संख्या 02 पन्ना आत्मज हरलाल जाट निवासी दांथल ने आराजी नम्बर 25 में से अपना 1/5 हिस्सा वादी के पिता बालु आत्मज हरलाल जाट निवासी दांथल को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय विलेख से दिनांक 19.05.1984 को विक्रय कर दिया था और 1/5 पहले से ही वादी के पिता बालु के नाम दर्ज था इस कारण वादी का आराजी संख्या 25 में 2/5 हिस्सा हो गया परन्तु दिनांक 07.06.1983 प्रतिवादी संख्या 02 पन्ना आत्मज हरलाल जाट ने प्रतिवादी संख्या 01 भैरू आत्मज हरलाल जाट निवासी दांथल के पक्ष में आराजी संख्या 25 की डबल रजिस्ट्री करा दी इस कारण आराजी संख्या 25 में प्रतिवादी संख्या 02 का 1/5 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 01 के नाम दर्ज हो गया। इस कारण प्रतिवादी संख्या 01 का 1/5 हिस्सा कम किया जाकर यह 1/5 हिस्सा वादी के नाम दर्ज किया जाना आवश्यक है। इस कारण आराजी संख्या 25 में वादी के नाम 2/5 हिस्सा दर्ज किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

ग्राम दांथल के आराजी नम्बर 25 में वादी लादुलाल आत्मज बालु जाट निवासी दांथल का 2/5 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 03 उदा आत्मज हरलाल जाट निवासी दांथल का 1/5 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 01 भैरू आत्मज हरलाल जाट निवासी दांथल का 2/5 हिस्सा का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

वादी का वादपत्र घोषणा, स्थाई निषेधाज्ञा एवं इन्द्राज दुरूस्थी का उपरोक्त विवेचन अनुसार स्वीकार योग्य ठहरता है। अतएव्

–:: आदेश ::–

ग्राम दांथल के आराजी नम्बर 25 में वादी लादुलाल आत्मज बालु जाट निवासी दांथल का 1/5 हिस्से में प्रतिवादी संख्या 2 से कयशुदा 1/5 हिस्से को सम्मिलित करने पर वादी के नाम पर 2/5 हिस्सा दर्ज किया जाना है एवं प्रतिवादी संख्या 01 भैरू आत्मज हरलाल जाट निवासी दांथल का आराजी नम्बर 25 में 3/5 हिस्से में डबल रजिस्ट्री से प्रतिवादी संख्या 01 के नाम दर्ज हो जाने से 1/5 हिस्सा कम करते हुये 2/5 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 01 के नाम पर दर्ज किया जाना है।

उपरोक्त विवेचन अनुसार वादी का वादपत्र बाबत् घोषणा, स्थाई निषेधाज्ञा एवं इन्द्राज दुरूस्थी का स्वीकार किया जाकर डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की जारी की जाती है कि ग्राम दांथल के आराजी नम्बर 25 में वादी लादुलाल आत्मज बालु जाट निवासी दांथल का 2/5 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 03 उदा आत्मज हरलाल जाट निवासी दांथल का 1/5 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 01 भैरू आत्मज हरलाल जाट निवासी दांथल का 2/5 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। उपरोक्तानुसार तहसीलदार भीलवाडा राजस्व रेकार्ड में ईन्द्राज करें। स्थाई निषेधाज्ञा की डिकी विरूद्ध प्रतिवादी संख्या 01 से लगायत 04 के इस आशय की जारी की जाती है कि आराजी नम्बर 25 में वादी के 2/5 हिस्से तथा आराजी नम्बर 353 व 354 में वादी के 1/5 हिस्से को प्रतिवादी संख्या 01 से लगायत 04 किसी अन्य को रहन बय बक्षीस या अन्य तौर अन्तरित व भारित न तो स्वंय करें न अन्य से करावें न वादी को बेदखल करें। वादी के कब्जे काश्त में कोई दखल न करें। खर्चा फरीकेन अपना–अपना वहन करें। तद्नुसार डिकी जारी की जावें।

(दिव्यराज सिंह चुण्डावत)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा

वाद में अन्तिम डिकी
(आदेश 20 नियम 6–7 जा0दी0)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारीः–दिव्यराज सिंह चुण्डावत, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या :– 184 / 2007

निर्णय दिनांक :– 07-4-2025

उनवान

1. लादूलाल आत्मज बालु जी जाति जाट, निवासी–दान्थल, तहसील व जिला भीलवाड़ा

–– वादी

बनाम

1. भैरू आत्मज हरलाल जी जाट, निवासी–दान्धल, तहसील व जिला भीलवाड़ा
2. पन्ना आत्मज हरलाल जी जाट, निवासी–दान्थल, तहसील व जिला भीलवाड़ा
3. उदा आत्मज हरलाल जाट, निवासी–दान्थल, तहसील व जिला भीलवाड़ा
4. बद्रीलाल आत्मज हरलाल जाट, निवासी–दान्थल, तहसील व जिला भीलवाड़ा
   4/1 – श्रीमति सोहनी देवी पत्नि स्व० बद्रीलाल जी जाति जाट, उम्र–वयस्क, निवासी–दान्थल हाल निवासी छापरी फौत के बजायः– निवासी–छापरी, तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा
   4/2 – शंकरलाल आत्मज स्व० बद्रीलाल, निवासी छापरी, तह.–बनेड़ा जिला भीलवाडा
   4/3 – संतोक पुत्री स्व० बद्रीलाल जाट, निवासी–छापरी, तह.–बनेड़ा जिला भीलवाड़ा
   4/4 – मनभर पुत्री स्व० बद्रीलाल जाट, निवासी–छापरी. तह.–बनेड़ा जिला भीलवाड़ा
   4/5 – समता पुत्री स्व० बद्रीलाल जी जाट, निवासी–छापरी, त. बनेड़ा जिला भीलवाड़ा
5. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार भीलवाड़ा

–– प्रतिवादीगण

उपस्थितः–

1. वादी की और से अधिवक्ता श्री रामेश्वरलाल जाट
2. प्रतिवादी संख्या 01 से लगायत 03 व 4/1 से 4/5 उपस्थित नहीं।
3. प्रतिवादी संख्या 05 की और से पेरोकार सरकार

वादपत्र बाबत घोषणा, स्थायी निषेधाज्ञा एवं इन्द्राज दुरूस्ती

वादी की और से अधिवक्ता श्री रामेश्वरलाल जाट उपस्थित एवं प्रतिवादीगण संख्या 01 से लगायत 03 व 4/1 से 4/5 उपस्थित नहीं। प्रकरण में – इस वाद में तारीख 07-04-25 2025 को पीठासीन अधिकारी दिव्यराज सिंह चुण्डावत, उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर भीलवाडा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होने पर आदेश दिया गया है, जिसकी अन्तिम डिकी दी जाती है :–

ग्राम दांथल के आराजी नम्बर 25 में वादी लादुलाल आत्मज बालु जाट निवासी दांथल का 1/5 हिस्से में प्रतिवादी संख्या 2 से कयशुदा 1/5 हिस्से को सम्मिलित करने पर वादी के नाम पर 2/5 हिस्सा दर्ज किया जाना है एवं प्रतिवादी संख्या 01 भैरू आत्मज हरलाल जाट निवासी दांथल का आराजी नम्बर 25 में 3/5 हिस्से में डबल रजिस्ट्री से प्रतिवादी संख्या 01 के नाम दर्ज हो जाने से 1/5 हिस्सा कम करते हुये 2/5 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 01 के नाम पर दर्ज किया जाना है।

उपरोक्त विवेचन अनुसार वादी का वादपत्र बाबत् घोषणा, स्थाई निषेधाज्ञा एवं इन्द्राज दुरूस्थी का स्वीकार किया जाकर डिकी बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की जारी की जाती है कि ग्राम दांथल के आराजी नम्बर 25 में वादी लादुलाल आत्मज बालु जाट निवासी दांथल का 2/5 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 03 उदा आत्मज हरलाल जाट निवासी दांथल का 1/5 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 01 भैरू आत्मज हरलाल जाट निवासी दांथल का 2/5 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। उपरोक्तानुसार तहसीलदार भीलवाडा राजस्व रेकार्ड में ईन्द्राज करें। स्थाई निषेधाज्ञा की डिकी विरूद्ध प्रतिवादी संख्या 01 से लगायत 04 के इस आशय की जारी की जाती है कि आराजी नम्बर 25 में वादी के 2/5 हिस्से तथा आराजी नम्बर 353 व 354 में वादी के 1/5 हिस्से को प्रतिवादी संख्या 01 से लगायत 04 किसी अन्य को रहन बय बक्षीस या अन्य तौर अन्तरित व भारित न तो स्वंय करें न अन्य से करावें न वादी को बेदखल करें। वादी के कब्जे काश्त में कोई दखल न करें।

(दिव्यराज सिंह चुण्डावत)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा